

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2-DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	1753,31,00	1753,32,00	1655,29,47	-98,02,53
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,87,00

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	165206.00	172396.00	165412.63	-6983.37
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	7189.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00	1424.00	. . .	-1424.00
पु.	R.	-8576.00			

1. 10000.00 लाख रु. का प्रावधान, मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए

(I) Provision of Rs.10000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Project/Schemes for the benefit of North Eastern Region/Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to concerned functional heads for meeting

संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने तथा आर्थिक कार्यो संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 10वीं योजना में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के प्रस्ताव को विलंब से अनुमोदन दिए जाने के कारण भी एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "फसल कृषिकर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- 1600.14 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.14 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 35960.14 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा योजना के अंतर्गत बनाई गई नई स्कीमों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आबंटन में कमी आने के कारण भी हुई।

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 494.02 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.02 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14110.02 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 के अधीन उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी" - 146.80 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- 700.00 लाख रु. की बचत (11025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 213.01 लाख रु. की बचत (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 0.01 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित, 5050.01 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - पशु विज्ञान संस्थान, डेरी अनुसंधान संस्थानों तथा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 800.09 लाख

expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of late-approval of proposal of Central Agricultural University, Imphal in 10th Plan by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "2415" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R."-

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of Rs.1600.14 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.35960.14 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.14 lakh obtained in March, 2005) was due to non-clearance of new schemes under plan by Expenditure Finance Committee and also due to reduction of Plan allocation by Ministry of Finance at revised estimates stage.

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - saving of Rs.494.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14110.02 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.02 lakh obtained in March, 2005);

(c) "Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940" - saving of Rs.146.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs);

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - saving of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11025.00 lakhs);

(e) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes" - saving of Rs.213.01 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5050.01 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.01 lakh obtained in March, 2005); and

(B) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - saving of Rs.800.09

रु. की बचत (0.09 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 20720.09 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आवंटन में कमी आने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाए जाने के लिए आंशिक रूप से (6164.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत मार्च, 2005 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "फसल कृषिकर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एएसआरबी तथा डीआईपीए सहित मुख्यालय प्रशासन, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 948.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 747.58 लाख रु. था।

(ख) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें"- 1404.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 649.99 लाख रु. था।

(ग) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - 170.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 102.00 लाख रु. था।

(खा) "मृदा तथा जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - अन्य राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 349.86 लाख रु. था।

(गा) "सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान" - 2442.00 लाख रु.।

lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.20720.09 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.09 lakh).

Savings under the above five heads were due to reduction of Plan allocation by Ministry of Finance at revised estimates stage.

2. The above savings were partly (Rs.6164.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 under Major Head "2415" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R."-

(a) "I.C.A.R. Headquarter Administration including ASRB and DIPA, Research and Education Schemes" - Rs.948.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.747.58 lakhs.

(b) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.1404.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.649.99 lakhs.

(c) "Externally Aided Projects/Schemes" - Rs.170.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.102.00 lakhs.

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other National Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - Rs.1200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.349.86 lakhs.

(C) "General - Assistance to Other Institutions- Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" - Rs.2442.00 lakhs.